रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 354] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2009/ज्येष्ठ 26, 1931
No. 354] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2009/JYAISTHA 26, 1931

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2009

सा.का.नि. 422(अ).—औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार ने औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के परामर्श के पश्चात् औषधि और प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 12 और धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है और उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह सूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है पैंतालीस दिन की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

प्रस्तावित प्रारूप नियमों पर कोई आक्षेप या सुझाव करने में हितबद्ध कोई व्यक्ति डाक के माध्यम से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार के विचार के लिए लिखित रूप में सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001 को कर सकेगा ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औषधि और प्रसाधन (चौथा संशोधन) नियम, 2009 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. औषधि और प्रसाधन नियम, 1945 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम, 69 में,—

   (क) उप-नियम 1 के खंड (ग) में "प्ररूप 24 में" शब्दों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और अंक "प्ररूप 24 में स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के सिवाय" रखे जाएंगे;

   (ख) उप-नियम 1 में खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

   "(घ) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन आने वाले औषधियों के विनिर्माण की दशा में प्ररूप 24छ में";

   (ग) उप-नियम (2) में खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--